सिंध के शरणार्थियों में डाक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तथा स्नातक

4767. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत आये शरणार्थियों में कितने डाक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तथा स्नातक हैं;

(ख) उन्होंने पाकिस्तान में कितनी चल और अचल सम्पत्ति छोड़ी तथा क्या केन्द्र सरकार ने इसका पता लगाया है, और यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है और क्या उन शरणार्थियों को उसके लिए कोई मुआवजा दिया गया; यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार शरणार्थियों को यहां पर स्थायी वास के लिए उन्हें नागरिकता के अधिकार प्रदान करेगी?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत आए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों में से 4 डाक्टरों, 3 इंजीनियरों, 2 एडवोकेटों तथा 35 अन्य स्नातकों के मामले नोटिस में आए हैं ।

(ख) जैसे ही स्थिति में सुधार हो जाएगा, ये व्यक्ति सुरक्षा तथा सम्मान सहित पाकिस्तान में अपने घरों को लौटने के हकदार हैं । तदनुसार, पाकिस्तान में उनके द्वारा छोड़ी गई चल तथा अचल सम्पत्ति के मूल्य का क्षा लगाने अथवा इसके बदले में मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ग) सरकार ने इस दृष्टिकोण से प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया है ।

Minor Irrigation Programme

4768. SHRI VENUGOPAL GOUNDER: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the problems which have been identified in regard to accelerating implementation of minor irrigation programmes;

(b) the amount given as grants to State Governments for strengthening State Minor Irrigation Organisation;

(c) the amount given to Tamil Nadu; and

(d) the present position in regard to monitoring of minor irrigation programmes at State and Central level?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The major problems which have been identified for accelerating the implementation of the Minor Irrigation Programme are:—

(i) Inadequate allocations for the Minor Irrigation Programme in the States due to overall financial stringencies in the States.

(ii) Weakness of cooperative structure in the States of Eastern region where there is considerable scope for further ground water development.

(iii) Shortage of electric power for irrigation pumping coupled with inadequate allocations for Rural Electrification Programme.

(iv) Lack of adequate organisations in the States for investigation, planning design of minor irrigation schemes.

(b) Central grant released to the State Govts. for strengthening State Minor Irrigation Organisations amounted to Rs. 11.72 lakhs during 1976-77 which was the year during which the scheme came into operation.

(c) No grant was released to Tamil Nadu during the year 1976-77 as the State Government did not report any expenditure under the approved scheme.

(d) A Cell has been sanctioned at the Central level for monitoring of minor irrigation programme on the regional basis and is presently in the progress of being set-up.

The Minor Irrigation Programme in the various States is being looked after by different departments such as Department of Irrigation, Department of Agriculture and Department of Cooperation etc. The State Governments have been advised to set up cells, preferably under Agricultural Production Commisioner, for monitoring of the minor irrigation programme and for scrutinising, compiling and reporting of the totality of the progress achieved under the programme.

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4769. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय के कितने अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई;

(ख) उक्त अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं; और

(घ) उक्त जांच के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले पांच वर्षों में 11 अधिकारियों के विरुद्ध जांच की।

(ख) अधिकारियों के पद नीचे दिए जा रहे हैं :—

(i)	संयुक्त शिक्षा सलाहकार	1
(ii)	निदेशक	2
(iii)	उप निदेशक	1
(iv)	सहायक शिक्षा सलाहकार	1
(v)	युवक समन्वयक	2
(vi)	प्रशासनिक अधिकारी	1
(vii)	उप अधीक्षक पुरातत्वज्ञ	1
(viii)	उप मंत्री के निजी सचिव	1
(ix)	उप कीपर	1

जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई उनके नाम देना जन प्रशासन के हित में उचित नहीं होगा।

(ग) सामान्यतः प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुपयुक्तायें/अनियमिततायें, जाली रिकार्ड रखने, आय के ज्ञात स्रोतों से बेमेल सम्पत्ति रखने आदि के आरोप हैं।

(घ) ग्यारह में से सात मामलों के परिणाम निम्नलिखित हैं :—

(i)	मामूली दण्ड देना	1
(ii)	प्रभार की वसूली	2
(iii)	सेवायें समाप्त करना	1
(iv)	अनिवार्य सेवा निवृत्ति	1
(v)	केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर बिना कार्यवाई के बन्द कर दिया	2